<u>कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश</u>

लखनऊ दिनांक 02.11.2022

<u>यू0पी0नीट यू0जी0–2022 के अन्तर्गत च्वाइस फिलिंग के संबंध आवश्यक दिशा–निर्देश</u>

- ***निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय में एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यकम मे प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी सम्बन्धित कालेज के बारे मे स्वयं अथवा अभिभावक सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही च्वाईस लॉक करें। अन्यथा की स्थिति मे इस कार्यालय का कोई उत्तर दायित्व नहीं होगा।***

- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों की सीटो पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से विशेष रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि अल्पसंख्यक/गैर–अल्पसंख्यक कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले समस्त शुल्क (Fee Structure) जो महानिदेशालय की वेबसाईट www.dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है, का अवलोकन करने के पश्चात् ही Choice Fill करें।

- यू0पी0 नीट यू0जी0–2022 के अन्तर्गत प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण/सिक्योरिटी धनराशि निर्धारित तिथियो तक जमा की गयी है तथा बैंक द्वारा एन0आई0सी0 के सर्वर पर अपडेट हो गयी है, ऐसे अभ्यर्थी ही च्वाईस फिलिंग की प्रक्रिया हेतु अर्ह है।

- अभ्यर्थी द्वारा राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज की सीटो पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन Choice Fill की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्ही कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

- **ऑनलाइन च्वाईस फिलिंग के पश्चात् च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है। च्वाईस लॉक न होने की स्थिति में अभ्यर्थी आवंटन प्रकिया से स्वतः बाहर हो जायेगा।**

- अभ्यर्थी द्वारा लॉक की गयी च्वाईस के उपरान्त कालेज/पाठ्यक्रम आवंटित होने की स्थिति में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश न लेने की स्थिति में जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को द्वितीय चक्र की काउसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा करनी होगी।

महानिदेशक।